समाहरणालय,मधुबनी

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

आदेश

दिनांक 06–03–2018 की रात्रि में जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, मधुबनी में आग लगने की घटित हुई है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रारम्भिक जॉच के कम में शॉट–सर्किट से आग लगने की बताई गई है, किन्तु आग लगने की घटना का वास्तविक कारण एवं उससे हुई क्षति का आकलन आवश्यक है । उ उक्त घटना की जॉच हेतु अपर समाहर्त्ता, मधुबनी की अध्यक्षता में एक त्रि–सदस्यीय जॉच समिति का गठन जाता है, जिसके अन्य सदस्य के रूप में प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, मधुबनी एव निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को नामित किया जाता है । जॉच समिति निर्देश दिया जाता है कि पूरे घटनाकम की विस्तृत जॉच कर आग लगने की घटना का वास्तविक कारण एवं उसर क्षति का आकलन कर अपना प्रतिवेदन 12 घंटे के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही संबंधित विभा प्रशाखाओं के क्षतिग्रस्त सामान/पंजी/अभिलेख/अन्य सम्पत्ति की इन्भेन्ट्री सूची भी तैयार कराकर प्रतिवेदित क इस घटना की सनहा स्थानीय थाना में जिला आपदा प्रशाखा, मधुबनी द्वारा दर्ज कराई जाएगी । पूरे घटनाकम/ की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कराकर उसकी सी0डी0 (सी0सी0टी0भी0 फूटेजसहित) सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि भ में आवश्यकता पड़ने पर उसका अवलोकन किया जा सके ।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
सभी संबंधित को सूचित करें ।

ह0/–
जिला पदाधिकार
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 150 / जि0आ0प्र0प्र0, मधुबनी दिनांक 7 मार्च, 2018 ई0।

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता, मधुबनी/ प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन प्रशाखा, मधुबनी एवं निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

7/3/18
जिला पदाधिकार
मधुबनी ।